न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/197/2024 रजू दिनांकः 06.12.2024 रजि0 न0 2024/281

अपीलार्थीः–

सुश्री पूनम कुमारी पुत्री श्री बद्री दत्त, निवासी ए–161, न्यू अशोका नगर पोस्ट गाजीपुर ईस्ट दिल्ली–110096

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.11.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2324 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 1611.2024 के कम में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं. 9942425083 दिनांक 04.12.2024 के विरूद्व आक्षेप व्यक्त किया है। के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन संख्या 293130549856755 दिनांक 16.11..2024 के माध्यमवांदित सूचना में विशिष्टियों का अभाव है, किसी खोजबीन कर सृजनात्मक सूचना चाही जा रही है, साथ ही सूचना बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य, समयसाध्य, किन्हीं लोक प्राधिकरण के दैनिक कियाकलाप, संसाधनों को विचलित किए जाने स्वरूप सूचना है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 6(1)बी, धारा 7(9), 8(1)जे एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 व परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं है। तद्नुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्रांक 992425083 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है, तथापि वांदित सूचना के संबंध में पूर्व विशिष्टियों के साथ, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के स्तर पर संपर्क स्थापित कर, सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी किए जाने बाबत सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 9942425083 दिनांक 04.12.2024 के माध्यम से सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 2325–26 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)